

192

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांक:प.(जी-19)निकृवि/निय./निय. अधि. संशो./16/

जयपुर, दिनांक

45935-44094 18.03.16

कार्यालय-आदेश

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 35(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये धारा 14-ए एवं कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 63, 63(क), 63(ख), 63(ग), 63(घ), 63(ङ), 63(च), 63(ज), 63(त) के अन्तर्गत एकाधिक मण्डी क्षेत्र के लिये विशेष अनुज्ञप्ति जारी करने की निदेशक की शक्तियों का समर्पण अधिनस्थ समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग को किया जाता है।

क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही कय केन्द्र स्थापित करने को अनुज्ञप्त कर सकेगा एवं राज्य के सभी मुख्य/गौण मण्डी प्रांगणों में विभाग द्वारा अनुमत ई-प्लेटफार्म पर कृषि जिन्स कय करने की अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक,
कृषि विपणन
जयपुर, दिनांक

क्रमांक:प.(जी-19)निकृवि/निय./निय. अधि. संशो./16/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहा., मा. कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कृषि (गुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
5. समस्त अधिकारीगण कृषि विपणन मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।
7. आरक्षित पत्रावली।

— 52 —
निदेशक,
कृषि विपणन